ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बर:—205/2018 प्रार्थना पत्र
। देबीलाल पिता धन्ना जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़(गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाडा
ाजस्थान)

————प्रार्थी

बनाम

-श्री मोहन पिता फरतजु जाट,उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ (गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री फरतू पिता कालू जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ (गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री भैरू लाल पिता धन्ना जाट,उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़(गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाड़ा
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————विपक्षीगण

————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—27.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व ानियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भोपालगढ़ पटवार ाा भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2211 रकबा 11 बिस्वा, 2212 ा 5 बिस्वा, 2213 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज र्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण ी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर ो सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1, 2, । कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण क 12.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 4 के । बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 4 को कितनी ही विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही ादेश दिनांक 24.5.2019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
त स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में
त हाल आराजी नम्बर 2211 रकबा 11 बिस्वा, 2212 रकबा 5 बिस्वा, 2213 रकबा 5 बिस्वा, कुल
ता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश
ा जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 250/–रूपये (दौ सौ
ास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर
ा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें।
रगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner